



आवेदन की तिथि- 22/01/15
 अधिसूचना तिथि- 23/01/15
 निर्गत तिथि- 24/01/15

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... 117/15 (11) / 2014-15

आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
21/01/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती..... <u>सुदरश्वर शर्मा</u> पिता/प्रति..... <u>सुदरश्वर शर्मा</u> साकिम..... <u>राज. नारायण शर्मा</u> थाना..... <u>श्रीमती</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा..... <u>श्रीपल्लु</u> मौजा नं०..... 1.1..... खाता नं०..... 15..... प्लॉट नं०..... 575 रकबा..... <u>2.5 बट (4/12 18/मिटर)</u> दलील सं०..... <u>4856</u> दिनांक..... <u>25.7.12</u> के द्वारा श्री/श्रीमती..... <u>राज. नारायण शर्मा</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक..... <u>17/01/15</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।
17/01/15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं०..... <u>139</u>..... में बिक्रेता फे/विक्रेता के <u>सुदरश्वर</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निर्बोधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/ कस्तकन्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तब्या-अन्तर मुद्रांक की रसिद को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करवा लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को..... <u>स्वीकृत</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	शुद्धि पत्र प्राप्त किया

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।
22/01/15
 प्रतिलिपिक / टंकक

जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।
 अंचल अधिकारी
 धनबाद।

शुद्धि पत्र प्राप्त किया
 अंचल अधिकारी
 धनबाद।



कार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण, (दखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला- धनबाद, अनुमण्डल-धनबाद अंचल-धनबाद, हल्का सं०-(11) स्टेट का नाम- झारखण्ड

1	क्रम संख्या	
2	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	दा० खा० 1426 (11) 14-15
3	गाँव	सिवापुर
4	धाना और धाना संख्या	धन 1
5	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	खाला- 150 - प्लाट- 595 - - रकबा- 8.5 अरब (4.12 इंचमिल) लगान- 4.00 100/
6	नामान्तरण भंगुर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	अंचल अधिकारी धनबाद
7	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	विक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 4856/25712
8	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	पुराना जमा०- 139 पुराना रैयत- लाल मीन साह नया रैयत- 2 अरब 25 अरब 2 अरब पुराना रकबा 2 अरब 25 अरब 2 अरब नया रकबा 2 अरब 25 अरब 2 अरब पुराना लगान 2 अरब 25 अरब 2 अरब नया लगान 2 अरब 25 अरब 2 अरब
9	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	कर्म सं० 1426/14-15
10	अभ्युक्ति	

आवेदन की तिथि- 23/01/15
अधिसूचना तिथि- 23/01/15
निर्गत तिथि- 23/01/15

ज्ञापक संख्या- 1905 ता० 23/01/2015
कर्मचारी हल्का सं० (11) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

मेरे द्वारा फोटोकापी किया गया।
प्रतिलिपिक / टंकक

निहित पंजी संख्या 1426/14-15
अनुमण्डल धनबाद
अंचल धनबाद
हल्का सं० 11